


फर्द अहकाम
(नियम 26)

2021/21

श्री विजय चिन्मय शिवालय मुकाम इन्द्रपुर
 नारायण प्रसाद शर्मा (अप्रीता) बनाम जगत लक्ष्मीशर शर्मा
 नं. 48 सन 2021

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज नम	नम्बर व तारीख अहकाम जो द्वारा हुकम की लागू में जारी हुए
28/6/21	यह अपील अधिवक्ता श्री विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रिसपोन्ड की तलबी जारी हो मिसल माताहत तलब हो। पत्रावली करते तलबी दिनांक 04/08/2021 को पेश। अति. जिला कलेक्टर इन्द्रपुर	
41/8/21	पत्रावली पेश हुई। व कोल अपीलान्त उप। पत्रावली करते मिसल तलबी दिनांक 6/9/21 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इन्द्रपुर	
6/9/21	पत्रावली पेश हुई। व कोल अपीलान्त उप। अधिनियम अध्यापन की पत्रावली प्राप्त हुई जो शांति की गई। पत्रावली करते अहकाम दिनांक 27/9/21 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इन्द्रपुर	
7/9/21	पत्रावली पेश हुई। व कोल अपीलान्त उप। आज न्यायिक कार्य समाप्त हुआ है। पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 26/10/21 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर इन्द्रपुर	
26/10/21	पत्रावली पेश हुई वहीन अहकाम उपरोक्त हो श्री सादर आज सादर कार्य समाप्त पर है पत्रावली ल अहकाम मत दिनांक 26/10/21 को पेश। अति. जिला कलेक्टर इन्द्रपुर	

श्री
 दिव
 19
 213
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

16/12-2021

पत्रावली पेश हुई जकोन भ्रमकारान उपस्थित
पी ओ साहब आज राजकार्य अकारण समय
पर है पत्रावली को आदेशानुसार दिनांक 12/12/22
को पेश

अति. जिला कलक्टर
सुंयुं

12/11/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा
आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/12/22
को पेश हो।

7/12/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा
आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/13/22
को पेश हो।

9/13/22

पत्रावली पेश हुई प करण राष्ट्रीय लोक अदालत
दिनांक 12/13/22 में स्थगित है। वकील अपीलान्त
को स्थगित किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तर्गत दिनांक
12/13/22 को पेश हो

अति. जिला कलक्टर
सुंयुं

12/13/22

पत्रावली लोक अदालत दिनांक 12/13/22 में नियत
होने पर आप पेशी में ली गई। पक्ष कारण उप
नही होने के कारण पत्रावली के निवारण सम्बन्धी
कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली गत आदेशानुसार
दिनांक 14/14/22 को पेश हो

अति. जिला कलक्टर
सुंयुं

14/14/22

पत्रावली पेश हुई, वकील पक्ष कारण उप. पत्रावली
वास्ते व इस हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 20/14/22
को पेश हो

अति. जिला कलक्टर
सुंयुं

20/14/22

पत्रावली पेश हुई। विधान अधिवक्ता उग्रयपक्ष उप।
पक्षी वकील अपीलान्त का कर्चन है कि वे इस अपील
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अपील को विशा
करना है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त विशा के
आधार पर ब्यारौक की जाती है। आदेश सुनाया गया।
पत्रावली फेसल शुमार हो कर दर्ज नंबर से फर्म हो
रहा बावद तभीत पावता शायिल दफ्तर हो

अति. जिला कलक्टर
सुंयुं

इस अपील को
आगे नहीं चलाना
चाहता अपीलान्त
को विशा कर
है।
(15/11/22)